कार्यालय जिलाधिकारी बुलन्दशहर ।

दिनांकः 13 अक्टूबर , 2014

विज्ञप्ति / इश्तहार नीलाम

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व विभाग की निम्नांकित गाडियों का सार्वजनिक नीलाम दिनांक 28 **अक्टूबर , 2014 को समय 11.30 बजे कलैक्ट्रेट परिसर स्थित मीटिंग हाल** में नीलाम समिति द्वारा किया जायेगा :–

कमांक	वाहन सम्बद्ध अधिकारी का पदनाम	वाहन का प्रकार	वाहन संख्या	वाहन का माडल
1	तहसीलदार, डिबाई	महेन्द्रा जीप	यू0पी0–13सी–6262	1998
2	तहसीलदार , खुर्जा	महेन्द्रा जीप	यू0पी0–13डी–1778	1998
3	तहसीलदार , अनूपशहर	महेन्द्रा जीप	यू0पी0–13जी–1617	2004
4	तहसीलदार, सदर	महेन्द्रा जीप	यू0पी0–13डी–0500	1997
5	उप जिलाधिकारी अनूपशहर	महेन्द्रा जीप	यू0पी0–13जी–1616	2002
6	उप जिलाधिकारी , स्याना	महेन्द्रा जीप	यू0पी0–13डी–5655	1998

अतः उपरोक्त नीलाम में जो भी इच्छुक व्यक्ति भाग लेना चाहता हो ,वह नियत तिथि ,समय एंव स्थान पर उपस्थित होकर बोली बोल सकता है । नीलाम की शर्ते व वाहन के सम्बंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यालय दिवस में नाजिर सदर कलैक्ट्रेट बुलन्दशहर व एन0आई0सी0 की वैबसाईड से प्राप्त की जा सकी है ।

(निधी श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बुलन्दशहर ।

संख्या 1222(9) /नाजिर सदर तद्‌दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– आयुक्त महोदय ,मेरठ मण्डल ,मेरठ ।
2– समस्त जिलाधिकारी , मेरठ मण्डल ,मेरठ ।
3– मुख्य विकास अधिकारी ,बुलन्दशहर ।
4– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ,बुलन्दशहर ।
5– समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदार ,जनपद बुलन्दशहर ।
6– जिला सूचना अधिकारी ,बुलन्दशहर ।
7– सम्पादक ,दैनिक अमर उजाला समाचार पत्र, बुलन्दशहर को इस आशय से भेजी जा रहीं है कि उक्त विज्ञाप्ति का समाचार पत्र में प्रकाशन कराकर ,उसकी प्रति मय बिल के नजारत अधिष्ठान कलैक्ट्रेट बुलन्दशहर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
8– श्री एम0पी0 सिंह, जिला विज्ञान अधिकारी ,एन0आई0सी0, बुलन्दशहर को इस आशय से कि वह जनपद की वैबसाईड पर अप लोड करना सुनिश्चित करें ।
9– नाजिर सदर कलैक्ट्रेट बुलन्दशहर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बुलन्दशहर ।

नीलाम की शर्ते

1– नीलाम में भाग लेने वाले बोलीदाता को वैध हैसियत प्रमाण पत्र , चरित्र प्रमाण पत्र एंव पता का प्रमाण पत्र (फोटो युक्त पहचान पत्र) लाना अनिवार्य होगा ।

2– नीलाम में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर राशि के रूप में अंकन रू0 25000–00 (पच्चीस हजार रू0 मात्र) नकद जमा कराना अनिवार्य होगा ।

3– नीलाम स्वीकृत एंव अस्वीकृत करने का अधिकार जिलाधिकारी महोदय में निहित होगा।

4– यदि नीलाम समिति का समाधान हो जाये कि समस्त बोलीदाता आपस में गिरोह बना लिया है, जिसके फलस्वरूप वाहन की उचित बोली न आ पा रहीं हो ,तो नीलाम समिति को नीलाम की कार्यवाही स्थगित करने का अधिकार होगा ।

5– नीलाम में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तब तक बोली नहीं बोल सकता ,जब तक की उसके पास एथोर्टी न हो ।

6– नीलाम समाप्ति के उपरान्त अधिकतम बोलीदाता की धरोहर राशि रोक कर ,शेष बोलीदाताओ द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी ।

7– यदि अधिकतम बोलीदाता नीलाम की प्रकिया पूर्ण होने के पश्चात नीलाम की सकल धनराशि का आधा उसी समय जमा करेगा तथा नीलाम स्वीकृत होने के उपरान्त शेष धनराशि तीन दिवस के अन्दर जमा नहीं करता है ,तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि बहक सरकार जप्त कर ली जायेगी ।

8– नीलाम स्वीकृत हो जाने के उपरान्त अथवा वाहन का नीलाम मूल्य जमा कर देने के उपरान्त सम्बंधित व्यक्ति को 24 घण्टे के अन्दर वाहन को अपनी अभिरक्षा में लेना आवश्यक होगा ।

9– जो भी व्यक्ति वाहन देखने के इच्छुक हो ,वह किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक नजारत अधिष्ठान कलैक्ट्रेट बुलन्दशहर में नाजिर सदर से सर्म्पक स्थापित कर वाहन को देख सकते है ।

10– विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बुलन्दशहर होगा ।

(निधी श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
बुलन्दशहर ।